रजिस्ट्री सं० डीण्एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 31, 1996/कार्तिक 9, 1918
No. 31] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 31, 1996/KARTIKA 9, 1918

SECRETARIAT LIBRARY
GOVERNMENT OF INDIA

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

साधारण विनियम (संशोधित) विनियम, 1996

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1996

विज्ञापन/III/IV/154/96(असाधारण).—भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18) की धारा 37 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक साधारण विनियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. इन विनियमों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक साधारण विनियम, (संशोधन) विनियम, 1996 कहा जाएगा ।

2. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक साधारण विनियम, 1994 में विनियम 8 में, उप विनियम (1) में, खण्ड (i) में 'केवल दो सौ और पचास रुपये' शब्दों के बदले में 'केवल पांच सौ रुपये' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए ।

3. यह संशोधन 7 जुलाई, 1995 से प्रभावी होगा और हमेशा इस तिथि से प्रभावी माना जाएगा ।

के. सी. वार्ष्णेय, कार्यपालक निदेशक

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार ने अपने पत्र क्रमांक एफ. सं. 10(27)/96-आई एफ-I दिनांक 6 अगस्त, 1996 के द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास साधारण बैंक विनियम, में संशोधन को अनुमोदन प्रदान किया है ।

जी. एम. राममूर्ति, महा प्रबन्धक (विधि)

INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA

GENERAL REGULATIONS (AMENDMENT) REGULATIONS, 1996

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 1996

Advt./III/IV/154/96(Extraordinary).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 37 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964), the Board, with the previous approval of the Central Government, makes the following amendment to the Industrial Development Bank of India General Regulations, 1994, namely:—

1. These regulations may be called the Industrial Development Bank of India General Regulations (Amendment) Regulations, 1996.

2. In Industrial Development Bank of India General Regulations, 1994, in Regulation 8, in sub-regulation (1), in clause (i), for the words "Rupees two hundred and fifty only" the words "Rupees five hundred only" shall be substituted.

3. This amendment shall be, and shall always be deemed to be effective from July 7, 1995.

K. C. VARSHNEY, Executive Director

Certified that Government of India have given approval to the amendment of the Industrial Development Bank of India General Regulations, vide their letter F. No. 10(27)/96-IF-I dated 6th August, 1996.

G. M. RAMAMURTHY, General Manager (Legal)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996